



2026:AHC:124431

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा
संहिता संख्या 4662 वर्ष 2026

अंकित कुमार और 2 अन्य

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता :

आशीष त्यागी, कपिल त्यागी

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता :

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X

1. आवेदक (गण) के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अमृत राज चौरसिया, को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 68 वर्ष 2026 पुलिस स्टेशन बाबूगढ़, जिला हापुड़, अंतर्गत धारा 191(2), 191(3), 190, 109 भारतीय न्याय संहिता और धारा 7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, के तहत अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दायर किया गया है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि गिरफ्तारी की स्थिति में, आवेदक (गण) को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक (गण) के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पुलिस कर्मियों द्वारा 19 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दो गुट एक-दूसरे पर गोलीबारी में शामिल थे। उन्होंने प्रस्तुत किया कि दूसरे गुट के कुछ सदस्यों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने वर्तमान आवेदक (गण) के विरुद्ध आरोप लगाया कि वह भी उन पर गोलीबारी में शामिल था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि आवेदक (गण) को मौके पर ही गिरफ्तार नहीं किया गया और अन्वेषण के दौरान एकत्र किए गए सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि गोलीबारी में शामिल व्यक्ति जसवंत था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अन्य सह-आरोपी प्रिंस डबास को पहले ही इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 4861 वर्ष 2026 (प्रिंस डबास बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में अग्रिम जमानत पर छोड़ा जा चुका है। आवेदक (गण) के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि यदि आवेदक (गण) को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और अन्वेषण में सहयोग करेंगे और जमानत की सभी शर्तों का पालन करेंगे।
4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक (गण) द्वारा की गई प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि आवेदक (गण) का आपराधिक इतिहास है और इसलिए, वे अग्रिम जमानत के दावेदार नहीं हैं।
5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
6. यह स्पष्ट है कि आवेदक (गण) को दूसरे गुट के कुछ आरोपियों द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर गोलीबारी की घटना में आरोपी बनाया गया था। अन्वेषण के दौरान एकत्र किए गए सीसीटीवी फुटेज भी इन आरोपों का समर्थन नहीं करते हैं कि वर्तमान आवेदक (गण) दूसरे गुट पर गोलीबारी की कथित घटना में शामिल थे।
7. पूरे तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदक (गण) को अग्रिम जमानत देना उचित समझता हूँ। तदनुसार, आवेदक (गण) के अग्रिम जमानत आवेदन की स्वीकृति दी जाती है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. आवेदक (गण)- अंकित कुमार, तरुण, बटान @ वतन की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें

उपरोक्त मामले के अपराध में निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी/न्यायालय की संतुष्टि के लिए व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि में दो-दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर तत्काल रिहा कर दिया जाएगा:-

- i. आवेदक (गण) आवश्यकतानुसार पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;
- ii. कि आवेदक (गण) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे ताकि उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;
- iii. कि आवेदक (गण) न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे;
- iv. कि आवेदक (गण) अभियोजन पक्ष के साक्षी पर दबाव नहीं डालेंगे/डराएंगे;

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, संबंधित न्यायालय जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां ऊपर की गई टिप्पणियां विशेष रूप से वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए हैं और उन्हें मामले के गुण-दोष पर अभिमत नहीं माना जाना चाहिए।

(माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X)

आदेश दिनांक: 1 जून 2026

के जे